# न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़(राज0)

**पीठासीन अधिकारी का नाम – मुकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.)**

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| **57 / 2015 (नि.पं.)** | **09.12.2015** | **20.12.2023** |

1. गणेश लाल पिता शिवलाल पाराशर निवासी गंगरार।

– **निगराकार**

**बनाम्**

1. श्रीमति सुमनदेवी पत्नी रतनलाल पाराशर निवासी गंगरार जिला चित्तौडगढ।
2. श्री शंकरलाल पिता मोहनलाल जी पाराशर निवासी गंगरार जिला चित्तौडगढ।
3. ग्राम पंचायत गंगरार जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गंगरार जिला चित्तौडगढ।

**–गैर निगराकार**

**निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज. पंचायतीराज अधिनियम एक्ट 1994**
**निगरानी बाबत् निरस्त कराये जाने पट्टा।**

**::निर्णय::**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगराकार ने एक निगरानी प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्व गैर निगराकार के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत गंगरार मे कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार के बाहर से होकर पहाडी पर ग्राम गंगरार से राशमी जाने वाली सडक के दक्षिण किनारे पर विभिन्न पडौसों का आवासीय भूखण्ड स्थित है। जो पूर्व मे निगराकार के पिता स्व. शिवलाल पाराशर एवं स्व. गोवर्धन लाल सोनी का भूखण्ड है, पश्चिम मे पडत भूमि एवं समता वाटिका में जाने का रास्ता, उत्तर में गंगरार–राशमी रोड, दक्षिण मे समता वाटिका एवं छोगालाल चौबे का भूखण्ड है। उपरोक्त पडौसों का भूखण्ड को श्री छगनलाल पिता नंदराम जी काखानी निवासी गंगरार ने सन् 1974 में ग्राम पंचायत गंगरार से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिसका ग्राम पंचायत गंगरार द्वारा सन् 1974 में पट्टा संख्या 35 जारी किया गया। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा श्री छगनलाल काखानी को जारी किया गया था उस समय भूखण्ड का क्षेत्रफल उत्तर से दक्षिण 80 फीट लम्बा एंव पूर्व से पश्चिम की चौडाई 40 फीट चौडा था, एवं उसके पडौस निम्नांकित थे पूर्व मे रास्ता, पश्चिम मे पडत सरकारी भूमि, उत्तर मे पडत आबादी भूमि, दक्षिण मे छोगालाल चौबे का भूखण्ड स्थित है। उक्त पडौसों का भूखण्ड पहाडी पर स्थित है, एवं सन् 1974 मे ग्राम पंचायत द्वारा जब पट्टा जारी किया गया था उस समय केवल पहाडी अवस्थित थी, एवं गंगरार से राशमी [illegible] थी था। सन् 1989 मे जब गंगरार से राशमी का रोड नवीन रूप से ब[illegible] भूखण्ड की कुछ उत्तर दिशा का भू- भाग सडक मे च[illegible] पहाडी पर हो[illegible] निकालने से एवं घुमावदार होने से भूखण्ड की क्षेत्रफल एव पडौस मे अन्तर आया है। इस[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Malhotra
Date: 2025.08.21 17:03:59 IST
Reason: SelfAttested

(मुकेश कुमार मीणा)
अति. जिला कलक्टर
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

वर्तमान में सन् 1974 मे जारी किये गये पट्टे मे वर्णित पडौसों के बजाय भूखण्ड के कॉलम संख्या 1 में वर्णित पडौस बन गये है। प्रमाण में मौके की स्थिति का नजरी नक्शा संलग्न है।

यह है कि श्री छगनलाल काखानी ने अपने स्वामित्व का उक्त भूखण्ड निगराकार के पिता स्व. शिवलाल एवं चाचा शंकरलाल (गैरनिगराकार संख्या 2) सन् 1985 में शामिल शरीक रहते थे, उस दौरान दिनांक 13.01.1985 को श्री छगनलाल काखानी ने विक्रय राशि 1051/–रु प्राप्त कर निगराकार के पिता व चाचा को सयुक्त रूप से विक्रय कर कब्जा सुपूर्द कर दिया एवं उसका उल्लेख मूल पट्टे पर कर दिया तत्पश्चात् श्री छगनलाल काखानी ने निगराकार के पिता व चाचा गैरनिगराकार संख्या 2 के पक्ष में विक्रय पत्र भी इस बाबत् निष्पादित कर दिया था जो असल ही गैर निगराकार संख्या 2 निगराकार के चाचा शंकरलाल के कब्जे में है, इस भूखण्ड को मेरे पिता एवं मेरे चाचा गैर निगरकार संख्या 2 द्वारा संयुक्त रूप से क्रय करने के पश्चात इस भूखण्ड पर काफी लागत लगाकर करीब 8 फीट उंची पक्की बाउण्ड्रीवाल भी बना रखी है। इस प्रकार ये भूखण्ड मेरे पिता स्व. शिवलाल जी एवं मेरे चाचा शंकर लाल जी के संयुक्त स्वामित्व एवं कब्जे का होकर उक्त भूखण्ड मे आधा हिस्सा हमारा एवं आधा हिस्सा शंकर लाल का है। इस भूखण्ड पर दो गेट बने हुए है जिसमें एक गेट गंगरार–राशमी रोड पर उत्तर दिशा मे स्थित है, जिस पर लोहे पर बडा गेट हमने लगा रखा था एवं उस हमारा ताला लगा हुआ था एवं दुसरा गेट समता वाटिका के गेट के पास में अवस्थित है। इस प्रकार इस भूखण्ड का ग्राम पंचायत गंगरार द्वारा सन् 1974 मे श्री छगनलला काखानी को पट्टा संख्या 35 पहले से ही जारी कर रखा था। तत्पश्चात छगनलाल काखानी द्वारा मेरे पिता स्व. शिवलाल जी एवं मेरे चाचा गैरनिगकराकार संख्या 2 शंकर लाल को विक्रय कर देने से हमारा संयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा है।

यह है कि उपरोक्त पट्टा शुद्वा भूखण्ड को हड़पने की बदयांति से गैरनिगराकार संख्या 2 मेरे चाचा शंकर लाल ने छगनलाल काखानी से मिलीभगत कर दिनांक 14.01.2005 को विक्रय अनुबंध लिखवा लिया। यद्यपि इस विक्रय अनुबंध मे भी श्री छगनलाल काखानी ने भी उक्त भूखण्ड को मेरे पिता एवं मेरे चाचा को संयुक्त रूप से विक्रय मे उल्लेख किया है कि दिनांक 28.11.2015 को मेरे चाचा गैर निगराकार संख्या 2 शंकरलाल एवं गैर निगराकार संख्या 1 सुमनदेवी एवं सुमनदेवी के पति रतनलाल ने आकर मुझे इस भूखण्ड पर लगे हुए मेरे ताले को खोल देने लिए कहा एवं मेरे द्वारा मना करने पर लडाई झगडा किया तथा उक्त विक्रय अनुबंध की दिनांक 14.01.2005 एवं ग्राम पंचायत गंगरार से सुमन देवी के नाम दुसरा पट्टा इस भूखण्ड का बनवा लेने की मुझे जानकारी दी एवं मुझे धमकी दी कि इस भूखण्ड में मुझ निगराकार का कोई स्वामित्व अधिकारी नही है, सुमन देवी ने नाम का पट्टा पंचायत ने बना दिया है। इसलिए सुमन देवी के स्वामित्व का भूखण्ड है एवं छगनलाल से भी मेने इकरार इस भूखण्ड के संबंध मे दिनांक 14.01.2005 को ही कर लिया ओर उसकी एक फोटो प्रति मुझे दी तो मुझे जानकारी हुई कि मेरे चाचा गैर निगराकार संख्या 2 ने ग्राम पंचायत से मिली भगतकर अपनी पुत्रवधू सुमनदेवी के नाम पर इस भूखण्ड का दूसरा पट्टा बनवा लिया गया है, और इस फर्जी पट्टे के आधार पर जबरन इस भूखण्ड पर गैर निगराकारान कब्जा करने पर आमादा है। गैर निगराकारान द्वारा फर्जीवाड़ा कर फर्जी दस्तावेज [illegible] कर लेने की जानकारी होने पर मेरे द्वारा दिनांक 28.11.2015 को पुलिस थाना [illegible] को रिपोर्ट प्रस्तुत की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Malhotra
Date: 2025.08.21 17:03:59 IST
Reason: SelfAttested

(मुकेश कुमार मीणा)
अति. जिला कलक्टर

परन्तु गैर निगराकार संख्या 2 ग्राम गंगरार के स्टाम्प वेण्डर का व्यवसाय करता है तथा सुमनदेवी का पति रतन लाल जो गैर निगराकार संख्या 1 का पति होकर गैर निगराकार संख्या 2 का पुत्र है जो ग्राम गंगरार मे मे दस्तावेज लेखक का व्यवसाय करता है इनकी राजनैतिक तथा पुलिस में अच्छी पकड़ होने से पुलिस द्वारा इनके विरूद्व कोई कार्यवाही नही की बल्कि उल्टा मेरे विरूद्व तहसीलदार साहब गंगरार के यहां पर जमानती की कार्यवाही की पुलिस एवं गैर निगराकारान को अवैध संरक्षण होने से दिनांक 03.12.2015 को सायंकाल करीब 4 बजे लगे हुए लोहे के गेट जिस पर मेरा ताला लगा हुआ था, उस गेट को गैर निगराकार संख्या 1 व 2 एवं रतनलाल निकाल कर चुराकर लेकर चले गये। जिसकी रिपोर्ट भी मेने दिनांक 04.12.2015 को सुबह पुलिस थाना गंगरार को प्रस्तुत की परन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की जिस मेरे द्वारा दिनांक 07.12.2015 सोमवार को श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय चित्तौडगढ को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

यह है कि मेरे चाचा शंकरलाल जी ने उक्त भूखण्ड को हड़पने के लिए एवं हमें भूखण्ड के कब्जे से बेदखल करने की नियत से ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच श्रीमति लीला देवी से मिलीभगत कर एवं इस भूखण्ड को सुमन देवी का पैतृक संपत्ति होना बताकर एवं इस आशय का सुमनदेवी द्वारा झुठा शपथ पत्र एवं प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमति सुमनदेवी के नाम पर दिनांक 19.12.2008 को पट्टा संख्या 34 पुस्तक संख्या 183 मिसल नम्बर 77, दिनांक 31.11.2007 अंकित कर फर्जी पट्टा प्राप्त कर लिया है। जो निम्न आधारों पर निरस्त योग्य है उक्त भूखण्ड का ग्राम पंचायत द्वारा पहले से ही श्री छगनलाल कालवाड़ी के नाम पर पट्टा संख्या 35 सन् 1974 मे जारी कर रखा था। इसलिए इसी भूखण्ड का दुबारा ग्राम पंचायत द्वारा सुमन देवी के नाम पर पैतृक संपत्ति के आधार पट्टा जारी नही किया जा सकता है। सुमनदेवी की शादी गैर निगराकार मेरे चाचा शंकरलाल जी के पुत्र रतनलाल से वादग्रस्त पट्टा सन् 2008 में जारी करने से ठीक 3 वर्ष पूर्व सन 2005 में हुई है, एवं सुमनदेवी का पीहर भी गंगरार में नही है, बल्कि ग्राम बदनोर जिला भीलवाडा में है एवं वादग्रस्त संपत्ति सुमनदेवी पैतृक पुश्तैनी संपत्ति नही है एवं वर्षो पुराना भी कब्जा होना स्पष्ट नही है फिर भी सुमनदेवी ने झुठा प्रार्थना पत्र एंव इसी आशय का झुठा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है, परन्तु ग्राम पंचायत के तत्कालीन संरपंच श्रीमति लीलादेवी सोनी को इन सभी तथ्यों की जानकारी होते हुए भी होते हए भी बिना जांच पडताल किये मिलीभगत कर गैरनिगराकार संख्या 1 सुमनदेवी के नाम पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। इस प्रकार सुमनदेवी ने झुठा शपथ–पत्र एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आपराधिक कृत्य किया है। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व कोई जांच पडताल नहीं की न ही इस संबंध में पंचायती को कोरम में रखी गई, और न ही कोई प्रस्ताव लिया गया ओर तत्कालीन सरपंच लीलादेवी ने केवल अपने हस्ताक्षरों से फर्जी मिसल तैयार कर श्रीमति सुमनदेवी के नाम पर पट्टा जारी कर दिया जो अवैध होकर भ्रष्टाचार में लिप्त [illegible] करता है। ग्राम पंचायत गंगरार द्वारा वादग्रस्त पट्टा जारी करने के लिए [illegible] कायम की गई उसमें आज्ञाओं की सूचि में सारी आदेशिका प्रिन्टेड [illegible] है एवं किसी भी आदेशिका में कार्यवाही की दिनांक अंकित नही है [illegible] रिक्त पड़े हुए है मौका निरीक्षण के लिए तीन सदस्य रतनलाल सोनी, गीता सालवी एवं लक्ष्मीलाल सालवी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Malhotra
Date: 2025.08.21 17:03:59 IST
Reason: SelfAttested

(मुकेश कुमार मीणा)
अति. जिला कलक्टर
[illegible] (चित्तौड़गढ़)

सदस्य मानेनित किया जाने एवं सचिव द्वारा भूमि का नक्शा बनाये जाने का उल्लेख किया परंन्तु न तो किसी ने मौका निरीक्षण किया न ही कोई नक्शा मुर्तिब किया यहां तक की सरपंच के अलावा अन्य किसी सदस्य या सचिव के हस्ताक्षर नही है, इस से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा अवैध रूप से पट्टा जारी करने के लिहाज से फर्जी मिसल तैयार कर भ्रष्टाचार में लिप्त होना स्प्ष्ट प्रमाणित है।

यह है कि दिनांक 16.08.2023 के आदेशानुसार उक्त पत्रावली को श्रीमान न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ से न्यायालय हाजा में स्थानान्तरित किया गया एवं दिनांक 24.08.2023 को प्रथम बार पत्रावली पेश हुई। उसके पश्चात् अनेक बार निगराकार व गैर निगराकार को सूचित किया गया। गैर निगराकार ने कई बार अपनी उपस्थिति दशाई एवं बहस हेतु निवेदन किया किन्तु निगराकार बावजूद सूचना कभी उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 19.11.2023 को विचाराधीन प्रकरण पेश होने पर गैर निगराकार के निवदेन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। जिसमें उन्हाने अवगत कराया कि निगराकार द्वारा सुमन देवी के पट्टा संख्या 34 को निरस्त करने हेतु निगरानी पेश की गई पूर्व मे उक्त जगह पर छगनलाल काखानी का भूखण्ड था जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा जबाव पेश किया जिसमे नजरी नक्शा सुमनदेवी द्वारा नजरी नक्शा पेश किया गया, जिसमे छगनलाल काखानी को भूखण्ड अन्य जगह व सुमन देवी का अन्य जगह है। छगनलाल पट्टा संख्या 35 पुराना दिनांक 03.07.1974 को जारी किया गया है, सुमनदेवी व छगनलाल के पडौस अलग–अलग है, जिससे स्पष्ट है कि सुमनदेवी के नाम जारी किया पट्टा संख्या 34 सही है। जिसका पंजीयन उपपंजीयक गंगरार के यहां किया गया है। निगराकार गणेश पाराशर को पट्टा संख्या 34 पर कोई हक नही है। जो निरस्त योग्य है। सुमनदेवी के नाम पट्टा संख्या 34 ( ग्राम पंचायत द्वारा जारी) विधि सम्मत से जारी किया गया है। विक्रय अनुबंध मे भी छगनलाल काखानी द्वारा एक भूखण्ड को मौजा गंगरार मे स्थित है जिसकी पैमाइस 60X80 वर्गफीट बताई गई है। उक्त भूखण्ड को गैरनिगराकर संख्या 2 शंकर लाल द्वारा छगनलाल काखानी से दिनांक 14.01.2005 को क्रय कर लिया गया था जिसमे भी स्पष्ट है कि छगनलाल काखानी के भुखण्ड मे निगराकार के पिता शिवलाल का हक हिस्सा नही है। शंकरलाल द्वारा क्रयशुद्वा भुखण्ड के गैर–निगराकार सुमनदेवी के नाम जारी पट्टा संख्या 34 अलग–अलग स्थित है। तथा दोनो भूखण्डों की पैमाईश भी अलग–अलग है जिससे स्पष्ट है कि सुमनदेवी के नाम पट्टा संख्या 34 विधि सम्मत सही है। पंचायत समिति गंगरार के पत्र क्रमांक 223 दिनांक 25.05.2016 को मौका रिपोर्ट मगंवाई जिसमें विकास अधिकारी, गंगरार द्वारा रिपोर्ट मे छगनलाल पिता नंदलाल निवासी गंगरार जिसके नाम पट्टा संख्या 35 जो 1974 मे जारी किया गया है तथा पंट्टा सेख्या 34 दिनांक 19.12.2008 को सुमनदेवी के नाम जारी किया गया है। दोनो ही पट्टों की भूमि अलग–अलग जगह पर स्थित है। पर्चा मौका के साथ मौका निरीक्षण, नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमे देखने से स्पष्ट है कि पट्टा संख्या 34 व 35 की भूमि अलग–अलग जगह स्थित है। साथ ही ग्राम पंचायत गंगरार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट भी पत्रावली के साथ संलग्न है जिसमें भी दोनों पट्टों की भूमि अलग–अलग जगह दर्शाई गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Malhotra
Date: 2025.08.21 17:03:59 IST
Reason: SelfAttested

(मुकेश कुमार मीणा)
अति. जिला कलक्टर
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निगराकार का द्वारा उठाये गये ग्राम पंचायत गंगरार के पट्टा संख्या 34 व 35 के संबध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के गहनता पूर्वक परीक्षण करने पर जाहिर मे आया की दोनों पट्टे एक जगह न होकार अलग–अलग जगह है। ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ग्राम पंचायत गंगरार द्वारा जारी पट्टा संख्या 34 पुस्तक संख्या 133 दिनांक 19.02.2008 को जो कि गैर निगराकार श्रीमती सुमन देवी पत्नि रतन लाल पाराशर निवासी गंगरार के पक्ष में स्वीकार किया जाता है एवं निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत गंगरार को मार्फत विकास अधिकारी गंगरार को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवायी जावें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इंद्राज की जाकर आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवायी जावें।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 20.12.2023 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

20/12/23

(मुकेश कुमार मीणा)
**अतिरिक्त जिला कलक्टर**
**रावतभाटा, (चित्तौड़गढ)**

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Malhotra
Date: 2025.08.21 17:03:59 IST
Reason: SelfAttested